स्टार्टअप को 10 वर्ष तक श्रम अफसरों के निरीक्षण से छूट

श्रम मंत्री की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ। श्रम विभाग ने कारोबारी माहौल को सुगम बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत कम जोखिम वाले स्टार्टअप को श्रम अफसरों के निरीक्षण से 10 वर्ष की छूट दी गई है। बशर्ते किसी तरह ही शिकायत न की गई हो। ऐसे ही कम जोखिम वाले उद्योगों को स्व प्रमाणन की सुविधा दी गई है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को श्रम मंत्री अनिल राजभर की मौजूदगी में विभाग के कार्यालय में हुए कार्यक्रम में किया गया।

जांच के नाम पर होने वाले उत्पीड़न की शिकायतें दूर करने के लिए हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रम डॉ. एमकेएस सुंदरम ने बताया कि

श्रम विभाग के कार्यक्रम में मंत्री का स्वागत करते अधिकारी। -विभाग

स्टार्टअप नीति के तहत स्थापित होने वाले गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों, प्रतिष्ठानों, इनक्यूबेटर्स और उत्कृष्टता केंद्रों की इकाई स्थापित होने और निवेश मित्र पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तारीख से 10 वर्ष तक श्रम विभाग के निरीक्षण से छूट रहेगी। इसके लिए स्व प्रमाणन के तहत आवेदन करना होगा।

तब श्रम अधिनियमों के अनुरूप निरीक्षण से छूट होगी। यहां तक कि श्रम कानूनों के उल्लंघन या शिकायत की स्थिति में भी कोई निरीक्षण इस अवधि में नहीं होगा। जब तक उल्लंघन की विश्वसनीयता और सत्यापन योग्य लिखित शिकायत प्राप्त न हो अथवा कारखाने में कोई दुर्घटना घटित न हो। ऐसा होने पर श्रम आयुक्त की अनुमति से निरीक्षण हो सकता है। ब्यूरो

प्रदेश में स्व प्रमाणन व्यवस्था लागू

उन्होंने बताया कि सिर्फ उच्च जोखिम वाले कारखानों के निरीक्षण किए जाएंगे। शिकायत व दुर्घटना होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से निरीक्षण होंगे। उन्होंने बताया कि कारोबारी माहौल को सुगम बनाने के लिए पूरे प्रदेश में स्व प्रमाणन व्यवस्था लागू की गई है। कम जोखिम वाले प्रतिष्ठान और कारखानों में यह व्यवस्था लागू होने के बाद पांच वर्ष तक उनका केवल एक बार संयुक्त निरीक्षण रेंडम आधार पर होगा। एक बार निरीक्षण होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान पांच वर्ष तक निरीक्षण से मुक्त रहेंगे। कम जोखिम वाले ऐसे प्रतिष्ठान या कारखाने जो स्व प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। ऐसे कारखानों (खतरनाक) और प्रतिष्ठानों के निरीक्षण उद्यमियों द्वारा थर्ड पार्टी का विकल्प चुनने पर सरकार से मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा।